International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उच्चतर शिक्षा के क्षैत्र में साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में यूजीसी के नियमों का मूल्यांकन

डॉ. कपिला बाफना

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष– वाणिज्य शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ (म.प्र.)

शोध सारांश

साहित्यिक चोरी जिसे अंग्रेजी भाषा में PLAGIARISM कहते है का आशय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यो, विचारो, शैली आदि को नकल करके अपनी मौलिक रचना के रूप में प्रकाशित करना है। साथ ही साहित्यिक चोरी केवल लिखित रूप में ही नहीं होती है। यह बौद्धिक सम्पदा जैसे– संगीत, चित्र, वीडियों और यहॉ तक की किसी नृत्य की कोरियोग्राफी पर भी लागू होती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्लेगरिज्म विनिमय 2018 लागू किया गया हैं। साहित्यिक चोरी को उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम को चार स्तरों में मापा गया है– शून्य स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के अनुसार यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी शोध दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, तो वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (DAIP) को देगा। यह पेनल शिकायत प्राप्ति पर मामले की जॉच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिश्ठा नाम सूचि (IAIP) को अपनी सिफारिश सौपेगें। साहित्यिक चोरी एक प्रकार की बोद्धिक चोरी है। यूजीसी साहित्यिक चोरी संबंधी दिशानिर्देश प्रदान किए है, जिससे साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है।

Key word - साहित्यिक चोरी, सत्यनिष्ठा, मौलिक रचना, शोध दस्तावेज, प्रावधान आदि।

परिचय – साहित्यिक चोरी जिसे अंग्रेजी भाषा में PLAGIARISM कहते है का आशय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यो, विचारो, शैली आदि को नकल करके अपनी मौलिक रचना के रूप में प्रकाशित करना है। साहित्यिक चोरी उस समय मानी जाती है, जब हम किसी के द्वारा रचित साहित्य को बिना उसका सन्दर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित करवा लेते है। साहित्यिक चोरी बौद्धिक संपदा की चोरी है। यह साहित्यिक चोरी सभी प्रकार की पांडुलिपियों पर लागू होती है। जिसमें शोध लेख, शोध पत्र, शोध–निबंध, पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक का कोई अध्याय और इसी प्रकार का मूल्यांकन कार्य जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं या अन्य कर्मचारियों द्वारा शोध स्तर की डिग्रियों को प्राप्त करने या अन्य उद्देश्यों हेतु तैयार किया जाता है। इसकें अन्तर्गत अवधिक पत्र परियोजना रिर्पोट, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य, निबन्ध तथा उत्तर पुस्तिकाओं को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साहित्यिक चोरी केवल लिखित रूप में ही नहीं होती है। यह बौद्धिक सम्पदा जैसे– संगीत, चित्र, वीडियों और यहॉ तक की किसी नृत्य की कोरियोग्राफी पर भी लागू होती है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्लेगरिज्म विनिमय 2018 लागू किया गया हैं। अकादमिक सत्यनिष्ठा से आशय किसी भी क्रियाकलाप को प्रस्तावित करने, सूचित करने और बौद्धिक इमानदारी से पूर्ण करना है। इसलिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एंव साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 कहॉ जाता है। साहित्यिक चोरी को उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम को निम्नस्तरों में मापा गया है।

तालिका – 01
साहित्यिक चोरी के स्तर

क्र.	स्तर	समानता का प्रतिशत
1	शून्य स्तर	10% तक समानताऐं
2	प्रथम स्तर	10% से 40% तक समानताऐं
3	द्वितीय स्तर	40%से 60%तक समानताऐं
4	तृतीय स्तर	60% से अधिक समानताऐं

यूजीसी अधिसूचना (UGC Plagiarism 2018) के अनुसार

शोध अध्ययन के उद्देश्य – यह शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया है–

1. साहित्यिक चोरी के मुख्य बिन्दुओं को जानना।
2. उच्चतर शिक्षा में साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में यूजीसी के नियमों का विश्लेषण करना।
3. उच्चतर शिक्षा में साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में दण्ड के प्रावधानों का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धतियॉ – यह शोध पत्र विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा में साहित्यिक चोरी और इस सम्बन्ध में यूजीसी के नियमों के विश्लेषण और प्रावधानों पर केंद्रित है। इस हेतु डाटा संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक माध्यमों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक डाटा संकलन हेतु यूजीसी गाइड लाईन 2018 का उपयोग और द्वितीयक डाटा सकंलन हेतु पुराने शोध पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तकों, व्यक्तिगत साक्षात्कार विकिपीडिया और विभिन्न वेबसाइट का उपयोग किया गया है।

यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के उद्देश्य – साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में विभिन्न दिशानिर्देश यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 में स्पश्ट किए गए है। यूजीसी ने अपनी अधिसूचना में निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है–

1. अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्यिक चोरी सहित कदाचार की रोकथाम को प्रोत्साहन।
2. संस्थानात्मक तंत्र को स्थापित कर साहित्यिक चोरी के निवारण की प्रोन्नति को सहज करना।
3. साहित्यिक चोरी को पकड़ने की पद्धतियां विकसित कर साहित्यिक चोरी का कृत्य करने वाले को दण्डित करना।

साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड सम्बन्धी प्रावधान – यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के अनुसार यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी शोध दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, तो वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (DAIP) को देगा। यह पेनल शिकायत प्राप्ति पर मामले की जॉच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूचि (IAIP) को अपनी सिफारिश सौपेगें।

शोधार्थी पर केवल उस स्थिति में ही दण्ड लगाया जायेगा जब बिना किसी संदेह के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा साहित्यिक चोरी किए जाने की पुष्टि हो जाती है। और अपील के सभी विकल्पों का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है। साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति को अपने बचाव के सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर दिए जाते है। यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 में शोध–प्रबन्ध (थीसीस) तथा भाोध निबन्ध और शैक्षिक व शोध प्रकाशन पर अलग–अलग दण्ड के प्रावधान दिए गए है।

तलिका – 02

शोध–प्रबन्ध तथा शोध निबन्ध के मामले में साहित्यिक चोरी पर दण्ड के प्रावधान

क्र.	चोरी का स्तर	चोरी का प्रतिशत	दण्ड के प्रावधान
1	शून्य स्तर	10% तक	दण्ड का कोई प्रावधान नहीं
2	प्रथम स्तर	10% से 40% तक	शोधार्थी को अधिकतम 6 माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाऐगा।
3	द्वितीय स्तर	40%से 60%तक	शोधार्थी को अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जाऐगा।
4	तृतीय स्तर	60% से अधिक	शोधार्थी का एम फील, पीएच डी एडमिशन रद्ध कर दिया जाएगा।

– यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018

नोट – यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के अनुसार, कुछ नोट भी इस संबंध में दिए गए है।

1. बार–बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड– यदि शोधार्थी द्वारा साहित्यिक चोरी को दोहराया जाता है, और यदि साहित्यिक चोरी पिछली बार की गई साहित्यिक चोरी से एक स्तर उपर की हो या सर्वोच्च स्तर की साहित्यिक चोरी हो तो उसे कारगर दण्ड दिया जाऐगा।
2. साहित्यिक चोरी पकडने से पूर्व उपाधि या क्रेडिट प्राप्त होने पर दण्ड – यदि उपाधि या क्रेडिट प्राप्त होने की तिथि से बाद साहित्यिक चोरी सिद्ध होती है, तो उसकी उपाधि या क्रेडिट को उच्च्तर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूचि (IAIP) द्वारा संस्तुत अवधि के लिए आस्थगित रखा जाऐगा। और संस्था प्रमुख द्वारा उसे अनुमोदित किया जाऐगा।

तलिका – 03

शौक्षिक तथा शोध प्रकाशनों के मामले में साहित्यिक चोरी पर दण्ड के प्रावधान

क्र.	चोरी का स्तर	चोरी का प्रतिशत	दण्ड के प्रावधान
1	शून्य स्तर	10% तक	दण्ड का कोई प्रावधान नहीं
2	प्रथम स्तर	10% से 40% तक	Academic and research publication को स्वीकार नहीं किया जाऐगा। ऐसे छात्रों को पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
3	द्वितीय स्तर	40%से 60%तक	1 पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाऐगा। 2 उन्हे एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाऐगा।

			3 उन्हे दो वर्ष की अवधि के लिए किसी नई एम.फिल, पीएच डी का प्रर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाऐगी।
4	तृतिय स्तर	60% से अधिक	1 पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाऐगा। 2 उन्हे लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाऐगा। 3 उन्हे तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी नई एम. फिल, पीएच डी का प्रर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाऐगी।

– यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018

नोट – यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के अनुसार, कुछ फुटनोट भी इस संबंध में दिए गए है।

1. बार– बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड– (1) उन्हे पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाऐगा और कि गई साहित्यिक चोरी के निम्न स्तर से एक स्तर उपर की साहित्यिक चोरी के लिए दण्डित किया जाऐगा। (2) यदि की गई साहित्यिक चोरी सर्वोच्च स्तर की हो तो उसके लिए विहित दण्ड लागू होगा। (3) यदि तृतीय स्तर के दोष की पुनरावृति की गई हो तो उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सेवा नियमों के अनुसार निलम्बन/सेवा समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाऐगी।
2. उस स्थिति में दण्ड, जब साहित्यिक चोरी का लाभ/क्रेडिट पहले से प्राप्त किया गया है – यदि लाभ प्राप्त करने के बाद की तिथि पर साहित्यिक चोरी सिद्ध होती है तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ अथवा क्रेडिट को IAIP द्वारा संस्तुत अवधि के लिए आस्थगित रखा जाऐगा तथा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाऐगा।
3. उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे तन्त्र को विकसित करेगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शोध पत्र प्रस्तुति के समय साहित्यिक चोरी के लिए जांचा जाऐ।
4. यदि DAIP अथवा IAIP के किसी सदस्य के विरूद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो ऐसे सदस्य ऐसी किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकता जहॉ इस सम्बन्ध में चर्चा या जॉच हो रही है।

साहित्यिक चोरी पर रोकथाम – साहित्यिक चोरी एक प्रकार की बोद्धिक चोरी है। यूजीसी साहित्यिक चोरी संबंधी दिशानिर्देश प्रदान किए है, जिससे साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। इसके सम्बन्ध में प्रमख रोकथाम निम्नानुसार है–

1. उच्चतर शिक्षा सस्थान द्वारा उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रयुक्त करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत शोध कार्य प्रस्तुति के समय साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
2. प्रत्येक शोधकर्ता जो शोधपत्र, शोध निबन्ध या इसके समान दस्तावेज उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रस्तुत करते समय वचन–पत्र प्रस्तुत करे कि यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है। तथा सभी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
3. शोधार्थी द्वारा वचन–पत्र में इस तथ्य को शामिल किया जाय कि उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा साहित्यिक चोरी का पता लगने वाले उपकरणों के जरिये विधिवत् जॉच की जा चुकी है।
4. संस्थान साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में एक नीति का विकास करे और उस नीति का सम्बन्धित विधायी निकायों या प्राधिकरणों से उसे स्वीकृत कराऐं। स्वीकृत नीति का प्लाशय वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड करे।
5. प्रत्येक निर्देशक, एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि शोधार्थी द्वारा किया गया कार्य, मेरे अधीन रहकर किया है। तथा यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
6. संस्थान, संस्थानात्कम रिपोजिटरी का संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करे। जिसमें शोध निबन्ध/शोध पत्र/शोध आलेख/ अन्य प्रकाशन और आंतरिक प्रकाशनों को भी शामिल किया जाय।

   इस प्रकार उपयुक्त कार्यवाही के माध्यम से साहित्यिक चोरी को न्यून किया जा सकता है। और मौलिक रचना का सृजन किया जा सकता है। साहित्यिक चोरी शोधार्थी और अन्य कर्मचारियों के लिए एक बडा अपराध है। जिससे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष – किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि की नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी होती है। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है, जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका सन्दर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित करा लेते है। इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक माना जाता है। और इसे साहित्यिक चोरी की सज्ञा दी गई है। वर्तमान समय में जब सूचना प्रोद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है, और प्रत्येक क्षैत्र में नई–नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है। और सम्पूर्ण विश्व एक **"ग्लोबल विलेज"** में परिवर्तित होने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में साहित्यिा चोरी को आसानी से पकडा जा सकता है।

वर्तमान समय में साहित्यिक चोरी यूजीसी प्लेगरिज्म विनियम 2018 के अनुसार, अकादमिक बेइमानी समझा जाता है। साहित्यिक चोरी नैतिक आधार पर अमान्य है। जिसके लिए आपकी प्रगति को रोका जाता है। साहित्यिक चोरी के मामलों में यूजीसी के नियमों को कठोर किया गया है। रिसर्च के मामलों में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस बार आयोग ने स्वंय के शोध कार्य को दोबारा उपयोग को लेकर बताया गया है, कि आप पहले जो रिर्सच पेपर पब्लिश करवा चुके है, उसमें

से भी लेकर पुनः नया रिर्सच पेपर नहीं बनाया जा सकता हैं। यह कृत्य भी साहित्यिक चोरी की श्रेणी में माना जाऐगा। अतः शोधार्थी को साहित्यिक चोरी जैसे कृत्य से पूर्णतः बचने का प्रयास करना चाहिए। और हमेशा अपनी मूल कृति की रचना कर नए शोध को बढावा देकर देश की प्रगति और अपनी पदोन्नति को बरकरार रखना चाहिए।

सन्दर्भ सूचि –

1. UGC Guidelines for Plagiarism 2018
2. Bruton, S.V. 2014. Self-plagiarism and textual recycling: Legitimate forms of research misconduct.
3. Butler, D. 2010. Journals step up plagiarism policing. Nature 466 (7303)
4. Khan, B.A. 2011. Plagiarism: an academic theft. International Journal of Pharmaceutical
5. UGC Plagiarism notification 2018